न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **स्वदीप सिंह**
अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 4512–पीबीआर/13 विरूद्ध आदेश दिनांक 10–12–13 पारित द्वारा आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर प्रकरण कमांक 322/12–13/अपील.

सोनेराम वर्मा पुत्र स्व. श्री लल्लाराम वर्मा
निवासी ग्राम निरावली
परगना व जिला ग्वालियर
हाल निवास कमल सिंह का बाग,
शिन्दे की छावनी, लश्कर, ग्वालियर .....आवेदक

विरूद्ध

रायरू डिस्टलरी लिमिटेड
ग्राम रायरू द्वारा जनरल मैनेजर
पी. व्ही. मुरलीधरन
रायरू डिस्टलरी रायरू ग्वालियर .....अनावेदक

श्री अनिल मंगल, अभिभाषक, आवेदक
श्री आशीष शर्मा, अभिभाषक अनावेदक
श्री आर.के. उपाध्याय, अभिभाषक, अनावेदक

:: आ दे श ::

(पारित दिनांक ५ दिसम्बर, 2014)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा पारित आदेश 10–12–13 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि ग्राम निरावली स्थित भूमि सर्वे कमांक 515 एवं 519/2 कुल किता 2 कुल रकबा 15 बीघा 10 बिस्वा भूमि का पट्टा दिनांक 2–5–71 को आवेदक सोनेराम वर्मा को दिया गया । तत्पश्चात दिनांक 11–8–80 को उपरोक्त भूमि का भूमिस्वामी घोषित किया गया, और राजस्व अभिलेखों उसका नाम भूमिस्वामी के रूप में अंकित किया गया । दिनांक 16–9–81 को भूमिस्वामी आवेदक द्वारा पंजीकृत विकय पत्र कमांक 4032 से प्रश्नाधीन भूमि सर्वे कमांक 519/2 में से रकबा 0.836 हेक्टेयर का विकय ओमप्रकाश पुत्र खच्चूराम को किया गया, और उसका नाम भी राजस्व अभिलेखों में दर्ज हो गया । इसके पश्चात आवेदक द्वारा उपरोक्त विकय पत्र को निरस्त कराने हेतु व्यवहार न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया गया, और व्यवहार न्यायालय द्वारा वाद कमांक 55 ए/85 ई.दी. में पारित आदेश दिनांक 5–8–86 से आवेदक के पक्ष में डिकी पारित कर विकय पत्र को शून्य घोषित किया गया । आवेदक द्वारा पुनः दिनांक 7–8–89 को प्रश्नाधीन भूमि का विकय, पंजीकृत विकय पत्र कमांक 1805 दिनांक 7–8–89 से अनावेदक रायरू डिस्टलरी लिमिटेड को किया गया, एवं विकय धन 82,000/– रूपये में से 13000/– रूपये नगद तथा शेष धन 69000/– चैक कमांक 712862 दिनांक 7–8–89 से प्राप्त किया गया । तद्नुसार अनावेदक द्वारा प्रश्नाधीन भूमि पंजीकृत विकय पत्र से कय करने के कारण उसका नाम राजस्व अभिलेखों में बतौर भूमिस्वामी अंकित हो गया । बाद में आवेदक के पुत्र कमल किशोर वर्मा एवं उसकी संतानों द्वारा स्वत्व घोषणा एवं अनावेदक के पक्ष में निष्पादित विकय पत्र को शून्य घोषित कराने हेतु व्यवहार न्यायालय में वाद प्रकरण कमांक 31 ए/2003 प्रस्तुत किया गय । व्यवहार न्यायालय द्वारा दिनांक 25–2–2005 को आदेश पारित करते हुए मुख्यतः इस निष्कर्ष के साथ कि प्रश्नाधीन भूमि आवेदक के एक मात्र स्वत्व की है, और आवेदक द्वारा अनावेदक को भूमि विकय करने में संहिता की धारा 165 का उल्लंघन नहीं हुआ है, व्यवहार वाद निरस्त किया गया । व्यवहार न्यायालय के आदेश के विरूद्ध आवेदक सहित कमल किशोर वर्मा एवं उसकी संतानों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में रिट याचिका प्रस्तुत की गई, और रिट याचिका में आवेदन पत्र प्रस्तुत कर स्थगन चाहा गया, माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 4–5–2005 से स्थगन आवेदन पत्र निरस्त कर दिया गया, और अपील अभी माननीय उच्च न्यायालय में लंबित

है । आवेदक एवं उसके पुत्र कमल किशोर वर्मा एवं विजय वर्मा द्वारा कलेक्टर, ग्वालियर के समक्ष इस आशय की शिकायत प्रस्तुत की गई कि दिनांक 7–8–89 को भूमि विक्रय करने में संहिता की धारा 165 का उल्लंघन हुआ है, अतः उक्त किया गया विक्रय अवैध होने से निरस्त किया जाये । अपर कलेक्टर द्वारा स्वप्रेरणा से निगरानी प्रकरण कमांक 124/2005–06/स्व.निगरानी दर्ज किया जाकर दिनांक 20–12–2006 को निगरानी समाप्त की गई । इसके बाद आवेदक द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में रिट याचिका प्रस्तुत करने पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 13–8–2008 को आदेश पारित कर सक्षम अधिकारी के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता प्रदान करते हुए रिट याचिका का निराकरण किया । तद्नुसार आवेदक द्वारा कलेक्टर, ग्वालियर के समक्ष संहिता की धारा 165 के अंतर्गत इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि प्रश्नाधीन भूमियां उसे कृषि कार्य हेतु पट्टे पर दी गई थी, और वह कृषि कार्य कर अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा था । आवेदक अनुसूचित जाति का सदस्य है, और पढ़ा–लिखा नहीं होने से भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया द्वारा की गई न्यायालयीन कार्यवाही से वह घबरा गया । अतः बैंक का ऋण चुकाने के लिए उसके द्वारा अमित कुमार से पैसे उधार लेकर बैंक ऋण चुकाया गया है । वास्तव में आवेदक द्वारा अनावेदक से न तो कोई कर्ज लिया गया है, न ही भूमि का किसी प्रकार से विक्रय किया गया । आवेदक के अनपढ़ एवं देहाती होने का नाजायज फायदा उठाकर धोखे से पट्टे की भूमि का विक्रय अनावेदक द्वारा करा लिया गया है, जबकि पट्टे की भूमि का विक्रय नहीं किया जा सकता है, अतः संहिता की धारा 165 के उल्लंघन के कारण पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 7–8–89 निरस्त किया जाये । कलेक्टर द्वारा आवेदन पत्र मूलतः तहसीलदार, ग्वालियर को भेजकर जांच कर वस्तुस्थिति का प्रतिवेदन मय अभिमत सहित उचित माध्यम से चाहा गया । तहसील न्यायालय द्वारा प्रकरण कमांक 45/बी–121/08–09 दर्ज किया जाकर दिनांक 12–3–2012 को आदेश पारित कर प्रश्नाधीन भूमि से अनावेदक रायरू डिस्टलरी लिमिटेड स्थित रायरू ग्वालियर डायरेक्टर आदिल बाफना पुत्र श्री दिनशाह बाफना निवासी लश्कर का नाम विलोपित किया जाकर पूर्व पट्टेदार आवेदक सोनेराम वर्मा का नाम अंकित किए जाने के ओदश दिये गये । अनावेदक द्वारा तहसील न्यायालय के आदेश से व्यथित होकर

प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी, ग्वालियर के समक्ष प्रस्तुत की गई । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 31–8–2012 को आदेश पारित कर प्रथम अपील निरस्त करते हुए तहसील न्यायालय का आदेश यथावत रखा गया । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के समक्ष प्रस्तुत किए जाने पर आयुक्त द्वारा दिनांक 10–12–13 को आदेश पारित कर तहसील न्यायालय एवं अनुविभागीय अधिकारी के प्रश्नाधीन आदेशों को निरस्त किया गया एवं उक्त आदेशों के अनुसरण में की गई प्रविष्टि भी निरस्त करते हुए अपील स्वीकार की गई तथा तद्नुसार अभिलेख संशोधित किए जाने के निर्देश दिये गये । आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रश्नाधीन भूमि का पट्टा आवेदक को दिनांक 2–5–1978 को प्राप्त हुआ था । यह भी कहा गया कि आवेदक द्वारा प्रश्नाधीन भूमि का विक्रय नहीं कर बंधक रखी गई थी, परन्तु अनावेदक द्वारा धोखाधड़ी करके प्रश्नाधीन भूमि के संबंध में विक्रय पत्र निष्पादित करा लिया एवं नामांतरण पंजी पर दिनांक 24–12–89 को नामांतरण पटवारी से करा लिया । तर्क में यह भी कहा गया कि संहिता की धारा 165 (7–ख) के अंतर्गत प्रश्नाधीन भूमि का विक्रय बिना कलेक्टर की अनुमति के नहीं किया जा सकता है, अतः अनावेदक द्वारा निष्पादित कराया गया विक्रय पत्र अवैध होकर शून्यवत है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसील न्यायालय द्वारा दिनांक 12–3–2012 को आदेश पारित कर प्रश्नाधीन भूमि के संबंध में दिनांक 24–12–89 के पूर्व की स्थिति कायम की है, जिसमें किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता नहीं हुई है, इसी कारण अनुविभागीय अधिकारी द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत प्रथम अपील निरस्त की गई है, जो कि विधिसंगत कार्यवाही है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि आयुक्त के समक्ष द्वितीय अपील अवधि बाह्य प्रस्तुत की गई थी, और आयुक्त द्वारा बिना अवधि विधान की धारा 5 के आवेदन पत्र पर विचार किए प्रकरण में गुण–दोष पर अंतिम आदेश आदेश पारित करने में अवैधानिकता की गई है । आयुक्त का यह विधिक दायित्व था कि सर्वप्रथम समय–सीमा के बिन्दु पर आदेश पारित करते, तत्पश्चात गुण–दोष पर आदेश पारित करते । तर्क में यह भी कहा गया कि आयुक्त

द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को निरस्त किया गया है, अतः आयुक्त को अनुविभागीय अधिकारी द्वारा निकाले गए निष्कर्षों के विपरीत निष्कर्ष देना चाहिए थे, जो नहीं दिए गए हैं । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के पृष्ठ 3 पर उल्लेख है कि अनावेदक के पक्ष में हुए नामांतरण की कोई नामांतरण पंजी उपलब्ध नहीं है, इससे ऐसा परिलक्षित होता है कि बिना नामांतरण आदेश के राजस्व अभिलेख में अनावेदक के नाम की प्रविष्टि प्रश्नाधीन भूमि पर की गई है ।

तर्कों के समर्थन में 2012(3) एम.पी.एल.जे. 158, 2008(1) एम.पी.जे.आर. 366, ए.आई. आर 1981 एम.पी 13, 2002(1) एस.सी.सी 475, 2001(9) एस.सी.सी. 717, 2004(3) एम.पी. एल.जे. 47, 2012(1) एम.पी.एल.जे. 562, 2002 आर.एन. 250, 2012(2) एम.पी.एल.जे. 707, 2011(1) एम.पी.एल.जे. 275 एवं 2007(4) एस.सी.सी 221 के न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किए गए ।

4/ अनावेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदक द्वारा दिनांक 7–8–89 को पंजीकृत विक्रय पत्र के माध्यम से अनावेदक को प्रश्नाधीन भूमि का विक्रय किया गया है, और उसका नामांतरण भी हो गया है । इसके बाद आवेदक द्वारा विक्रय करने के उपरांत व्यवहार न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया गया था, और उक्त वाद में पारित आदेश दिनांक 25–2–2005 में यह निष्कर्ष निकालते हुए किए प्रश्नाधीन भूमि में संहिता की धारा 165 (7–ख) लागू नहीं होती है, वाद निरस्त किया गया है । यह भी कहा गया कि तहसील न्यायालय द्वारा 22 वर्ष पश्चात संहिता की धारा 115 के अंतर्गत कार्यवाही की गई है, इस संबंध में आयुक्त का निष्कर्ष उचित है कि संहिता की धारा 115 के अंतर्गत तहसील न्यायालय को इतनी लम्बी अवधि के पश्चात प्रविष्टि करने का अधिकार नहीं है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदक की ओर से आयुक्त के समक्ष समय–सीमा का बिन्दु नहीं उठाया गया है, अतः इस स्तर पर नहीं उठाया जा सकता है । यह भी कहा गया कि व्यवहार न्यायालय के आदेश के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय में अपील लंबित है, जिसमें आवेदक को स्थगन प्राप्त नहीं हुआ है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि आयुक्त द्वारा अनुविभागीय अधिकारी द्वारा निकाले गए निष्कर्षों पर पूर्ण विवेचना कर आदेश पारित किया गया है ।

प्रत्युत्तर में आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा कहा गया कि आवेदक की ओर से व्यवहार न्यायालय में कोई वाद प्रस्तुत नहीं किया गया है ।

5/ उभयय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अभिलेख से स्पष्ट है कि प्रश्नाधीन भूमियां का विक्रय आवेदक द्वारा अनावेदक को पंजीकृत विक्रय पत्र के माध्यम से दिनांक 7–8–89 को किया गया है, और तत्पश्चात आवेदक के पुत्र कमल किशोर वर्मा एवं उसकी संतानों के द्वारा अनावेदक सहित आवेदक के विरूद्ध व्यवहार न्यायालय में स्वत्व घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा हेतु वाद प्रस्तुत किया गया है । व्यवहार न्यायालय द्वारा व्यवहार वाद कमांक 312 ए/2003 में दिनांक 25–2–2005 को आदेश पारित कर मुख्यतः यह निष्कर्ष निकालते हुए कि आवेदक सोनेराम वर्मा प्रश्नाधीन भूमि का एक मात्र भूमिस्वामी राजस्व अभिलेखों में दर्ज है, और प्रश्नाधीन भूमि पट्टे पर दिया जाना प्रमाणित नहीं है, और न ही संयुक्त हिन्दु परिवार की भूमि है तथा आवेदक द्वारा प्रश्नाधीन भूमि का विक्रय करने में संहिता की धारा 165 (7–ख) का उल्लंघन नहीं हुआ है, व्यवहार वाद निरस्त किया गया है । उक्त आदेश के विरूद्ध कमल किशोर वर्मा एवं उसकी संतानों के द्वारा द्वितीय अपील माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत की जाकर स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसे माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 4–5–2005 को आदेश पारित कर निरस्त किया गया है, माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष अपील अभी लंबित है । व्यवहार न्यायालय से वाद निरस्त होने के उपरांत आवेदक के पुत्रों कमल किशोर वर्मा एवं विजय वर्मा द्वारा अपर कलेक्टर के समक्ष शिकायत प्रस्तुत की गई । उक्त शिकायत के आधार पर अपर कलेक्टर द्वारा प्रकरण कमांक 124/2005–06 स्वमेव निगरानी पंजीबद्ध किया गया तथा दिनांक 20–12–2006 को आदेश पारित कर उक्त निगरानी प्रकरण समाप्त कर दिया गया । इसके बाद आवेदक द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में रिट याचिका प्रस्तुत की गई । माननीय उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका प्रकरण कमांक 3277/2008 में दिनांक 13–8–2008 को आदेश पारित कर आवेदक को सक्षम न्यायालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता दी गई । तद्नुसार आवेदक द्वारा कलेक्टर के समक्ष संहिता की धारा 165 के अंतर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । कलेक्टर द्वारा आवेदन पर मूलतः

तहसील न्यायालय को जांच कर वस्तुस्थिति का प्रतिवेदन मय अभिमत सहित उचित माध्यम से भिजवाने हेतु प्रेषित किया गया । तहसील न्यायालय द्वारा आवेदन पत्र को विविध मद बी–121 में दर्ज कर कार्यवाही करते हुए दिनांक 7–7–2011 को अनुविभागीय अधिकारी को इस आशय का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया कि अनावेदक के पक्ष में निष्पादित विक्रय पत्र में सहिता की धारा 165 (7–ख) का उल्लंघन हुआ है, अतः विक्रय पत्र के आधार पर किया गया नामांतरण स्वतः आधारहीन हो जाता है, इसलिए नामांतरण को स्वमेव निगरानी में लिये जाने हेतु प्रतिवेदन कलेक्टर को भेजा जाना उचित होगा । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण स्वमेव निगरानी में लिये जाने हेतु कलेक्टर को नहीं भेजकर स्वतः यह निष्कर्ष निकालते हुए कि प्रश्नाधीन विक्रय पत्र निष्पादन में संहिता की धारा 165 (7–ख) का उल्लंघन होने से, वह शून्यवत है । अतः विधिसम्मत भूल के कारण पारित आदेश पुनर्विलोकन योग्य होने से पुनर्विलोकन की अनुमति प्राप्त कर आगामी कार्यवाही की जाये । प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी से वापिस प्राप्त होने पर तहसील न्यायालय द्वारा कार्यवाही कर दिनांक 12–3–2012 को आदेश पारित कर मुख्यतः यह निष्कर्ष निकालते हुए कि प्रश्नाधीन भूमि आवेदक को पट्टे पर प्राप्त हुई थी, जो कि विक्रय से प्रतिबंधित थी तथा अनावेदक को उक्त भूमि क्रय करने के पूर्व कलेक्टर से अनुमति प्राप्त करना चाहिए थी, जो कि प्राप्त नहीं की गई, और उनके द्वारा अनुमति प्राप्त किए बिना ही क्रय की गई है, तथा उक्त विक्रय पत्र के आधार पर नामांतरण कब और कैसे हुआ यह अनावेदक द्वारा नहीं बताया गया है, और न ही राजस्व अभिलेखों में नामांतरित होने के संबंध में कोई दस्तावेज प्रस्तुत किए गए । चूंकि अनावेदक द्वारा द्वारा नामांतरण संबंधी प्रकरण एवं आदेश की प्रति प्रस्तुत नहीं की गई है, इससे प्रथम दृष्टया परिलक्षित होता है कि प्रश्नाधीन भूमि पर अनावेदक का नाम भूमिस्वामी स्वत्व पर बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश के अंकित कर दिया गया है, जो कि निरस्ती योग्य है, संहिता की धारा 115 के तहत प्रश्नाधीन भूमि से अनावेदक का नाम कम कर वापिस आवेदक सोनेराम वर्मा का नाम अंकित किए जाने का आदेश दिये गये हैं । उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि तहसील न्यायालय द्वारा पूर्णतः अवैधानिक एवं क्षेत्राधिकार रहित कार्यवाही की गई है, कारण प्रथमतः व्यवहार न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 25–2–2005 में वाद बिन्दु निर्धारित कर स्पष्ट निष्कर्ष निकाला गया है

कि प्रश्नाधीन भूमि आवेदक के एक मात्र स्वामित्व की भूमि है, जो पट्टे की होना प्रमाणित नहीं है, अतः प्रश्नाधीन भूमि का विक्रय करने में संहिता की धारा 165 (7–ख) का उल्लंघन नहीं है, और व्यवहार न्यायालय द्वारा पारित आदेश राजस्व न्यायालय पर बंधनकारी है । तहसील न्यायालय द्वारा व्यवहार न्यायालय के आदेश के विपरीत आवेदक द्वारा प्रश्नाधीन भूमि का विक्रय अनावेदक को किए जाने में संहिता की धारा 165 (7–ख) का उल्लंघन मानने में गंभीर अनियमितता की गई है । इसके अतिरिक्त जब एक बार कलेक्टर द्वारा संहिता की धारा 165 का उल्लंघन होना पाते हुए प्रकरण स्वप्रेरणा से निगरानी में लेकर समाप्त कर दिया गया है, तब उसी बिन्दु पर तहसील न्यायालय द्वारा दोबारा कार्यवाही किया जाना वरिष्ठ न्यायालय के आदेश की अवहेलना की गई है । इस प्रकरण में मुख्य विचारणीय बिन्दु यह है कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुरूप आवेदक द्वारा कलेक्टर को संहिता की धारा 165 के अंतर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसे कलेक्टर द्वारा तहसील न्यायालय को जांच कर वस्तुस्थिति का प्रतिवेदन मय अभिमत सहित उचित माध्यम से भेजने हेतु प्रेषित किया गया है । उक्त आदेश के पालन में तहसील न्यायालय द्वारा कार्यवाही की जाकर अनुविभागीय अधिकारी को दिनांक 7–7–2011 को संहिता की धारा 165 (7–ख) का उल्लंघन पाते हुए प्रकरण स्वप्रेरणा से निगरानी में लेने हेतु प्रतिवेदन कलेक्टर को भेजने हेतु प्रस्तुत किया गया । अनुविभागीय अधिकारी ने भी क्षेत्राधिकार रहित कार्यवाही कर प्रश्नाधीन निष्पादित विक्रय पत्र में संहिता की धारा 165 (7–ख) का उल्लंघन होना मानते हुए शून्य घोषित कियागया है, जबकि पंजीकृत विक्रय पत्र को शून्य घोषित करने का अधिकार अनुविभागीय अधिकारी को नहीं है, और संहिता की धारा 165 (7–ख) के अंतर्गत प्रकरण का निराकरण करने का अधिकार कलेक्टर को है, अनुविभागीय अधिकारी को नहीं है । प्रकरण में एक गंभीर अनियमितता तहसील न्यायालय द्वारा यह की गई है कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा तहसीलदार का विधिवत पुनर्विलोकन की अनुमति प्राप्त कर आगामी कार्यवाही के निर्देश दिये गये थे, परन्तु तहसील न्यायालय द्वारा बिना पुनर्विलोकन की अनुमति प्राप्त किए 22 वर्ष पूर्व राजस्व अभिलेखों में दर्ज अनावेदक के नाम की प्रविष्टि निरस्त की गई । तहसील न्यायालय द्वारा संहिता की धारा 115 के अंतर्गत अनावेदक के नाम की प्रविष्टि को विलोपित कर आवेदक

सोनेराम वर्मा का नाम अंकित किए जाने के आदेश दिए गए हैं, जो कि विधि की गंभीर भूल है । इस संबंध आयुक्त द्वारा निकाला गया निष्कर्ष पूर्णतः विधिसंगत है कि संहिता की धारा 115 के अंतर्गत आवेदन पत्र पर कार्यवाही कर आदेश पारित करने का अधिकार तहसील न्यायालय को नहीं है, और संहिता की धारा 116 के अंतर्गत 22 वर्ष पूर्व की गई प्रविष्टि को संशोधित करना भी पूर्णतः अवैधानिक कार्यवाही है । इस प्रकार तहसीलदार द्वारा पूणर्तः विधिक प्रावधानों की उपेक्षा कर मनमाना एवं क्षेत्राधिकार रहित आदेश पारित किया गया है, जिसकी पुष्टि करने में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा भी विधि विपरीत कार्यवाही की गई है । अतः आयुक्त द्वारा तहसील न्यायालय एवं अनुविभागीय अधिकारी के आदेश निरस्त करने में विधिसंगत कार्यवाही की गई है, इस कारण आयुक्त का आदेश हस्तक्षेप योग्य नहीं है । आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत यह तर्क मान्य किए जाने योग्य नहीं है कि अनावेदक द्वारा दिनांक 24–12–89 को नामांतरण पंजी पर बिना नामांतरण आदेश के पटवारी से अपना नाम राजस्व अभिलेखों में अंकित करा लिया गया है, क्योंकि आवेदक द्वारा विधिवत प्रतिफल प्राप्त कर प्रश्नाधीन भूमि का विक्रय अनावेदक को किया गया है । इस संबंध में व्यवहार न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 25–2–2005 में विस्तार से विवेचना की गई है, जिसका विश्लेषण ऊपर किया गया है । आवेदक के विद्वान अभिभाषक का यह तर्क भी उचित नहीं है कि तहसील न्यायालय द्वारा अपने आदेश में दिनांक 24–12–89 के पूर्व की स्थिति कायम करने में विधिसंगत कार्यवाही की गई है, क्योंकि जैसा कि ऊपर विश्लेषण किया गया है कि तहसील न्यायालय द्वारा दिनांक 24–12–2012 के पूर्व की स्थिति कायम नहीं कर अनावेदक के नाम दर्ज प्रविष्टि को निरस्त कर आवेदक के नाम की प्रविष्टि किए जाने के आदेश दिये गये हैं । जहां तक आवेदक के विद्वान अभिभाषक के इस तर्क का प्रश्न है कि आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत अपील अवधि बाह्य थी, और आयुक्त द्वारा अवधि विधान की धारा 5 के आवेदन पत्र पर बिना विचार किए, बिना उसका निराकरण किए गुण–दोष पर आदेश पारित करने में अवैधानिकता की गई है, कारण इस संबंध में जैसा कि ऊपर विश्लेषण किया गया है कि अनुविभागीय अधिकारी एवं तहसील न्यायालय द्वारा पूर्णतः विधिक प्रावधानों की उपेक्षा कर क्षेत्राधिकार रहित कार्यवाही करते हुए आदेश पारित किए गए हैं, जिन्हें निरस्त करने में आयुक्त द्वारा

पूर्णतः विधिसंगत कार्यवाही की गई है, अतः आयुक्त के विधिसंगत आदेश में अवधि विधान की धारा 5 के आवेदन पत्र का निराकरण नहीं करने जैसे तकनीकी बिन्दु के आधार पर हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है । इसके अतिरिक्त आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत अपील में मात्र लगभग 3½ माह का विलम्ब हुआ है, और विलम्ब की उक्त अवधि भी नकल प्राप्त करने में व्यतीत हुई है । आवेदक की ओर से गुण–दोष पर आयुक्त के समक्ष अंतिम तर्क प्रस्तुत किए गए हैं, परन्तु उनके द्वारा सर्वप्रथम अवधि विधान की धारा 5 के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र का निराकरण करने संबंधी आपत्ति प्रस्तुत करना प्रकरण से परिलक्षित नहीं होता है । आवेदक द्वारा आयुक्त के समक्ष अनावेदक की ओर से प्रस्तुत अवधि विधान की धारा 5 के आवेदन पत्र का जवाब प्रस्तुत कर अपने कर्तव्य का निर्वहन किया जाना मान लिया है, जबकि अनावेदक को गुण–दोष पर तर्क प्रस्तुत करने के पूर्व समयावधि के बिन्दु पर निराकरण संबंधी आपत्ति उठाना चाहिए थी । आवेदक की ओर से अवधि विधान के बिन्दु पर प्रस्तुत न्याय दृष्टांत इस प्रकरण के लिए प्रासंगिक नहीं होने से विचारणीनय नहीं है, क्योंकि इस प्रकरण में मात्र लगभग 3½ माह का विलम्ब नकल प्राप्त करने में व्यतीत समय के कारण हुआ है । आयुक्त द्वारा विधि के प्रावधानों की विस्तार से विवेचना कर आदेश पारित किया गया है, इसलिए आवेदक के विद्वान अभिभाषक का यह तर्क भी अमान्य किया जाता है कि आयुक्त द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को निरस्त किया गया है, इसलिए अनुविभागीय अधिकारी द्वारा निकाले गए निष्कर्षों के विपरीत निष्कर्ष निकालना चाहिए । दर्शित परिस्थितियों में आयुक्त द्वारा पारित आदेश पूर्णतः वैधानिक एवं उचित आदेश होने से स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 10–12–13 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(स्वदीप सिंह)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर